हुक्म	
14.2.20	पत्रावली पेश। वकील पक्षकार उप० की वास्ते तलबी 18.2.20 को पेश हो।
18.2.20	पत्रावली पेश। वकील पक्षकार उप० की वास्ते तलबी 28.2.20 को पेश हो।
28.2.20	पत्रावली पेश। वकील पक्षकार उप० की वास्ते तलबी 6.3.20 को पेश हो।
6.3.20	पत्रावली पेश। वकील पक्षकार उप० की वास्ते तलबी 20.4.20 को पेश हो।
20/4/20	~~पत्रावली आज राजस्व लोक अदालत अभियान~~ ~~केम्प~~ लोक डाउन पर पेश हुयी पक्षकार उपस्थित/अनुपस्थित है। प्रकरण मे समयावधि का अभाव है। अतः नियमि सुनवाई हेतु दि. 1.7.20 को पेश हो। [signature] उपखण्ड अधिकारी रामगंजमण्डी
1.7.20	पत्रावली पेश हुई / अधिवक्तागण / न्यायिक कार्य ... / P.O. रे मीटिंग / बाहर, ... पत्रावली वास्ते order दिनांक 2.7.20 को पेश हो। [signature]
2.7.20	पत्रावली पेश। वकील पक्षकार उप० हो। प्रकरण में उभयपक्षकारान के अधिवक्तागण को सुना गया। नहीं एक तरफ विद्वान अधिवक्ता वादीगण

हम ... के ... ने मे हस्तक्षेप नहीं करेंगे [signature]

उक्त फैसला किया गया था। अब प्रति० का कथन है, कि वह किसी प्रकार की मदाखलत मजाहमत नहीं करता था।

इसके विपरीत विद्वान अधिवक्ता प्रति० का कथन है, कि उसके द्वारा न तो वादीगण के कब्जे कास्त में न तो मदाखलत मजाहमत की जा रही है, और न ही उन्हें किसी प्रकार से परेशान किया जा रहा था। वादीगण तो किसी अन्य व्यक्ति के माध्यम से वादग्रस्त भूमि पर काबिज काश्त थे। हमारे द्वारा वादीगण को परेशान नहीं किया जा रहा था।

विद्वान अधिवक्तागण उभय पक्ष इस बात पर एकराय हैं, कि उनके द्वारा एक दूसरे के खाते की भूमि पर किसी प्रकार हस्तक्षेप नहीं किया जावेगा।

इस प्रकार पक्षकारान के मध्य विवाद्यक बिन्दुओं का अवसान हो चुका है। अतः प्रकरण में विवाद्यक बिन्दुओं के विरचन की आवश्यकता प्रतीत नहीं होती।

विद्वान अधिवक्तागण उभयपक्ष

को ... पक्षकारान की

[illegible]
का कथन है कि वह किसी प्रकार से
हस्तक्षेप मजाहमत नहीं करना चाहते।

इसके विपरीत विद्वान अधिवक्ता प्रतिवादी का कथन है, कि उनके द्वारा न तो वादीगण के कब्जे काश्त में न तो हस्तक्षेप मजाहमत की जा रही है, कोई न ही उन्हें किसी प्रकार से परेशान किया जा रहा है। वादीगण तो किसी अन्य व्यक्ति के माध्यम से वादग्रस्त भूमि पर काबिज काश्त है। हमारे द्वारा वादीगण को परेशान नहीं किया जा रहा है।

विद्वान अधिवक्तागण उभय पक्ष इस बात पर एकराय है, कि उनके द्वारा एक दूसरे के खाते की भूमि पर किसी प्रकार हस्तक्षेप नहीं किया जावेगा।

इस प्रकार पक्षकारान के मध्य विवाधक बिन्दुओं का अवसान हो चुका है। अतः प्रकरण में विवाधक बिन्दुओं के विरचन की आवश्यकता प्रतीत नहीं होती।

विद्वान अधिवक्तागण उभयपक्ष को सुना गया। पक्षकारान की

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज
	रजामन्दी / सहमति की हद तक वाद वादीगण स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत होता है। अतः दावा वादीगण स्वीकार किया जाकर यह आदेश रिये प्रतिवादी को जरिये स्थाई आदेश पाबंद किया जाता है, कि वो वादीगण को ग्राम बूलोवड़ी की भूमि खसरा नं० 550 रकबा 3.98 हैक्टर पर काश्त करने से नहीं रोके। वादीगण के कब्जे काश्त में मदाखलत बेजा नहीं करें। साथ ही वादीगण भी अपने खाते की भूमि के अलावा प्रतिवादी की भूमि पर कब्जे का प्रयास नहीं करेंगे। तदनुसार डिक्री मुर्तिब हो। निर्णय आज दि. 2/7/2020 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया।

~~अंतिम~~ डिकरी व मुकद्दमे ~~इब्तदाई~~

(ऑर्डर 20, रूल 6–7, ज़ाब्ता दीवानी)

(Civil Procedure Code, Appendix 'D'–1)

अज अदालत — उपखण्ड अधिकारी — मुकाम — रामगंज मण्डी

व इजलास — चिमनलाल मीणा (R.A.S.)

चौथीबाई — बनाम — कुलदीप

दावा बाबत — 188 R.T. Act 1955

मुकद्दमा नं. — 53 — सन् — 2019

यह मुकद्दमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रू-ब-रू — चिमनलाल मीणा (R.A.S.) — मिनजानिब मुद्दई व — श्री प्रदीप अटोल एड. — बहाजरी — श्री घनश्याम धाकड़ एड. — मिनजानिब मुद्दायलाह पेश होकर, हुक्म दिया जाता है व डिकरी दी जाती है कि

दावा वादीगण स्वीकार किया जाकर यह आदेश दिये जाते हैं कि प्रतिवादी को जरिये (स्थाई) आदेश पाबंद किया जाता है कि वो वादीगण को ग्राम बूलखेडी की भूमि ख.नं. 550 रकबा 3.98 हे. पर काश्त करने से नहीं रोके। वादीगण के कब्जे की भूमि काश्त में मदाखलत मुजाहमत नहीं करें तथा ही वादीगण की कब्जे वाली की भूमि के अलावा प्रतिवादी भी भूमि पर कब्जा का प्रयास नहीं करें

चीज — मुबलिग — बाबत — फीसदी सालाना आज की तारीख

खर्चा इस मुकद्दमे के मय सूद व शरह — को अदा करे।

से तारीख वसूलयाबी तक — 02 — माह — 07 — 2020.

बसब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख

को जारी की गई।

दस्तखत — [signature]

ओहदा — उपखण्ड अधिकारी रामगंजमण्डी

मुहर

मुद्दई		रुपया	पै.	मुद्दायलाह		रुपया	पै.
स्टाम्प अर्जी दावा	....			स्टाम्प वकालतनामा	....		
स्टाम्प वकालतनामा	....			स्टाम्प अर्जी	....		
स्टाम्प वजह सबूत	....			महनताना वकील पर	....		
महनताना वकील	....			खर्चा गवाहान	....		
खर्चा गवाहान	....			फीस कमिश्नर	....		
फीस कमिश्नर	....			बाबत इजराय हुक्मनामा	....		
बाबत इजराय हुक्मनामा	....			मुतफर्रिक	....		
मुतफर्रिक	....			मीजान ...			
मीजान....							

नोट:—इस खर्चे के फार्म पर कुल खर्चा हर दो फरीकेन का, चाहे डिकरी के जरिये दिलाया गया हो या नहीं दर्ज करना चाहिये। वाद व्यय पक्षकारान अपना अपना वहन करें

[signature]
उपखण्ड अधिकारी
रामगंजमण्डी

रा. मु. जो. 139-2006-1,00,000 फार्म